ANNEXURE A

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद - जालौन स्थान उरई।

द्वारा,

श्रीमान सिविल जज जू०डि०/जे.एम.
न्यायालय - कोंच जनपद - जालौन।

विषय - माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार स्पष्टीकरण
के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी श्रीमान जी के आदेशानुसार न्याया कोंच में रात्रिकालीन चौकीदार के रूप मे प्रतिनियुक्त है, महोदय प्रार्थी माता जी की तबियत पिछले कई दिनो से खराब चल रही है। प्रार्थी को दि० 30/12/2020 को दोपहर 2.30 बजे के करीब फोन द्वारा सूचना मिली की प्रार्थी की माता जी ज्यादा बीमार है, अत: प्रार्थी को घर जाना था, महोदय प्रार्थी तुरत श्रीमान सिविल जज जू०डि० जे.एम. न्यायालय कोंच के आवास पर घर जाने की अनुमति लेने गया तथा श्रीमान सिविल जज साहब को पूरी बात बताके ले घर जाने की अनुमति देने के लिए 2 दिन (दि० 30/12/2020 एवं 31/12/2020) का प्रार्थना पत्र दिया जिसमे सिविल जज साहब ने प्रार्थी के स्थान पर 2 दिनो के लिए श्री अरविन्द रायक्वार की ड्यूटी लगाई एवं प्रार्थी को आदेशित किया कि ये उरई ले जाकर अरविन्द रायक को नोट करा दे तभी घर जाये, जिसे प्रार्थी ने उरई मे श्री अरवि रायक्वार को नोट कराया, एवं उनसे प्रार्थना पत्र वापस शाम को जाकर जज साहब को दे देने की बात कहकर प्रार्थी घर चला गया।

स्पष्टीकरण माननीय जिला न्यायाधीश महोदय की सेवा मे साद प्रस्तुत है एवं माननीय जिला जज साहब से निवेदन है कि प्रार्थी से अगर कोई गलती हुई हो तो प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करे। महान दया होगी

'सादर'

दि० 06/01/2021

(आशीष मिश्रा)

Hon'ble Sir,
forwarded
[signature] 6/1/21
सिविल जज (जू०डि०)
कोंच (जालौन)

[signature]
06/01/21

प्रार्थी
आशीष मिश्रा
रात्रिकालीन चौकीदार
न्यायालय - कोंच
जनपद - जालौन